फर्द अहकाम

कैलाश चंद पंचारी बनाम अ.उ. किशोरी

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

केस संख्या 10 / 2023 धा. 5,6 धारा 36(5)

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21/12/24	पत्रावली आज पेश। इस्तगासे के प्रार्थी विमल व उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं है। ~~[illegible]~~ पुनश्च.- इस्तगासे के प्रार्थी विमल व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी को अपने इस्तगासे में इस्तगासी पेश करने का उचित अवसर दिया जाकर इस्तगासी सारिणा दिनांक 14/6/24 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़
	14/6/24	आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं आये। बार-2 आवाज लगाई गई लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं आया। अतः पत्रावली प्रथम घटना के आदेश पत्रावली में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रूबरू से अमल हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़